कम्प्यूटर परिपत्र सं0-1415069 दि0 16-09-2014

प0स0-विधि-4(1)-अधिनियम/नियमावली संशोधन भाग-8(14-15)/ 845 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

(विधि-अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: सितम्बर 16 ,2014

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक)
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय - रु0 25 लाख वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों के कर निर्धारण के सम्बन्ध में अध्यादेश संख्या-4 सन् 2014 द्वारा प्रख्यापित प्रक्रिया के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के प0स0-विधि-4(1)-अधिनियम/नियमावली संशोधन भाग-8/(14-15)/646/वाणिज्य कर, दिनांक 31-7-2014 का संदर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा वर्ष 2011-12 के लिए रु0 25 लाख वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों के चयन से संबंधित विवरण प्रारुप-क में भेजने की तिथि बढ़ाकर 20 अगस्त, 2014 तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा इनका एप्रूवल (Approval) दिनांक 25-8-2014 तक किये जाने के निर्देश जारी किये गये थे।

उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 31-7-2014 द्वारा जारी निर्देशों के सम्बन्ध में फील्ड के अधिकारियों द्वारा अवगत कराया गया है कि अभी कतिपय स्थानों पर व्यापारियों के चयन से सम्बन्धित विवरण प्रारुप-क में भेजनें के कार्य का निस्तारण नहीं हुआ है और इसके लिए समयावधि बढ़ाने का अनुरोध किया गया है, जिस पर सम्यक् विचारोपरान्त वर्ष 2011-12 के लिए रु0 25 लाख वार्षिक टर्न ओवर वाले व्यापारियों के चयन से संबंधित विवरण प्रारुप-क में भेजने की तिथि बढ़ा कर **25 सितम्बर, 2014** तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) द्वारा इनका **एप्रूवल (Approval) दिनांक 30-9-2014 तक** किये जाने के निर्देश निर्गत किये जाते हैं, इस तिथि के बाद कोई समयावधि नहीं बढ़ाई जायेगी।

तद्नुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

यह पत्र कमिश्नर वाणिज्य कर के आदेश के क्रम में जारी किया जा रहा है।

S. Tripathi

(साधना त्रिपाठी)
एडीशनल कमिश्नर (विधि) वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।